उत्तराखण्ड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना–2024

योजना का संक्षिप्त विवरण

पर्यटन के क्षेत्र में 01 करोड़ से 05 करोड़ तक का निवेश करने वाले प्रदेश के स्थायी निवासियों/उद्यमियों को प्रोत्साहित एवं आर्थिक रूप से सबल बनाये जाने हेतु अधिसूचना संख्या 235925/VI/2024 दिनांक 30 अगस्त, 2024 द्वारा **उत्तराखण्ड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना–2024 प्रख्यापित की गई है। यह** महत्वकांक्षी योजना उत्तराखण्ड के पर्यटन उद्योग को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के साथ–साथ स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाएगी और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

योजना का लक्ष्य

- पर्यटन उद्योग में निवेश को प्रोत्साहन देना।
- स्थानीय उद्यमियों को सशक्त बनाना और उन्हें उच्च श्रेणी के पर्यटन परियोजनाओं में भागीदार बनाना।
- रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना और पर्यटन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना।
- पर्यटन गतिविधियों का समावेशी विकास सुनिश्चित करना।

पात्रता

- योजना मात्र उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों/उद्यमियों के लिए तथा इकाई में 100 प्रतिशत स्वामित्व उत्तराखण्ड़ के स्थायी निवासियों का होना अनिवार्य।
- निवेश की सीमा न्यूनतम ₹ 01 करोड़ तथा अधिकतम ₹ 05 करोड़ की अनिवार्यता।
- एकल स्वामित्व/प्रोपराईटरशिप/पार्टनरशिप (पंजीकृत) /एल0एल0पी0/प्रा0लि0 अथवा अन्य किसी विधिक संस्था के रूप में पंजीकृत इकाईयां पात्र।
- इकाई/अंशधारक किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो।
- इकाई की स्थापना हेतु भूमि की स्थिति में वांछित भूमि आवेदक/अंशधारक/इकाई के हो अथवा यदि इकाई पट्टे की भूमि पर निर्मित की जानी हो, तो 10 वर्ष से अधिक की पट्टा अवधि अवशेष होनी अनिवार्य।
- नई इकाई की स्थापना अथवा विद्यमान इकाई के विस्तारीकरण हेतु आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन की सुविधा।
- अनुमन्य पर्यटन गतिविधियों में होटल/मोटल, स्पा एवं स्वास्थ्य/आरोग्य रिसोर्ट, फ्लोटेल्स/फ्लोटिंग रिसॉर्ट्स, क्रूज–बोट, नौका (यॉट), हाउसबोट, इको लॉज तथा आवासीय टैंट, तथा मनोरंजन पार्क आदि के विकास हेतु अनुदान की सुविधा।
- चिन्हित पर्यटन गतिविधियों या परियोजनाओं में निवेश करने वाले उद्यमी ही पात्र होंगे।

क्षेत्रीय वर्गीकरण व वित्तीय प्रोत्साहन

श्रेणी	क्षेत्र	पूंजीगत अनुदान	ब्याज अनुदान
ए	• हरिद्वार, नैनीताल तथा ऊधमसिंह नगर जिलों का सम्पूर्ण क्षेत्र • देहरादून जिले के ऐसे क्षेत्र जो श्रेणी 'बी' में सम्मिलित नहीं है • अल्मोड़ा जिले की रानीखेत तथा अल्मोड़ा तहसील	➢ ₹ 01 करोड़ पर न्यूनतम ₹ 33 लाख अनुदान। ➢ ₹ 01 करोड़ से अतिरिक्त निवेश पर 15% अतिरिक्त अनुदान ➢ कुल अधिकतम ₹ 80 लाख	03 % अथवा अधिकतम रू0 04 लाख प्रतिवर्ष
बी	• अल्मोड़ा जिले का शेष क्षेत्र (जो श्रेणी 'ए' में सम्मिलित नहीं है) • देहरादून जिले की कालसी, चकराता तथा त्यूनी तहसील • बागेश्वर जिले की गरूड़ तहसील	➢ 1 करोड़ पर न्यूनतम ₹ 33 लाख अनुदान। ➢ ₹ 01 करोड़ से अतिरिक्त निवेश पर 25% अतिरिक्त अनुदान	03 % अथवा अधिकतम रू0 05 लाख प्रतिवर्ष

	• पौड़ी गढ़वाल जिले की कोटद्वार, लेंसडाउन, यमकेश्वर तथा धूमाकोट तहसील • टिहरी गढ़वाल जिले की धनोल्टी तथा नरेन्द्रनगर तहसील	➢ कुल अधिकतम ₹ 1.20 करोड़	
सी	• उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग तथा पिथौरागढ़ जिलों का सम्पूर्ण क्षेत्र • बागेश्वर, पौडी गढवाल तथा टिहरी गढ़वाल जिलों का शेष क्षेत्र (जो श्रेणी 'बी' में सम्मिलित नहीं है)	➢ ₹ 01 करोड़ पर न्यूनतम ₹ 33 लाख अनुदान। ➢ ₹ 01 करोड़ से अतिरिक्त निवेश पर 30% अतिरिक्त अनुदान ➢ कुल अधिकतम ₹ 1.50 करोड़	03 % अथवा अधिकतम रू0 06 लाख प्रतिवर्ष

स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति

- ➢ नई इकाइयों की स्थापना पर 100% स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति।

आवेदन प्रक्रिया

- ➢ योजना निर्माण से पूर्व सिंगल विंडो पोर्टल https://investuttarakhand.uk.gov.in/ के माध्यम से सैद्धान्तिक अनुमोदन (Inprinciple Approval)/कैफ (CAF) प्राप्त करना अनिवार्य है।
- ➢ सैद्धान्तिक अनुमोदन से अधिकतम तीन वर्षो में कार्य पूर्ण कर इकाई का संचालन अनिवार्य।
- ➢ योजना का निर्माण/कियान्वयन निर्धारित विनियमों के अधीन पूर्ण होने के उपरान्त अनुदान की सुविधा।

योजना की जानकारी और गाइडलाइन्स

- ➢ योजना की विस्तृत जानकारी, दिशानिर्देश और आवेदन प्रक्रिया हेतु विभागीय वेबसाईट https://uttarakhandtourism.gov.in/ पर विजिट करें अथवा विभागीय निवेश सहायता केन्द्र से सम्पर्क करें।

संपर्क करें:–

पर्यटन निवेश सहायता केंद्र,

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, गढीकैण्ट देहरादून।

फोन– 0135–3515001/3510143/7060038427

ईमेलः– tifcuttarakhandtourism@gmail.com

जनपद स्तर पर निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है :–

जिला पर्यटन विकास अधिकारी, टिहरी **7300799202**	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, हरिद्वार **7060038441**	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पौड़ी **7300799201**	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, चमोली **9792376998**
जिला पर्यटन विकास अधिकारी, देहरादून **7300799203**	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग **8299806624**	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी **8279868075**	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, अल्मोड़ा **8954615410**
जिला पर्यटन विकास अधिकारी, बागेश्वर **9412998517**	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, चम्पावत **9012353111**	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नैनीताल **7895737015**	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ **9458300455**

जिला पर्यटन विकास अधिकारी, ऊधम सिंह नगर
94129965